

बिहार सरकार  
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

3094

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के नियंत्रणधीन कार्यालय श्री राम, तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सुखतानगर, बनलपुर सखरि विभागीय आदेश ज्ञापक- 3094 दिनांक- 29.06.2018 द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सखरि, भद्रवती के पद पर नियुक्त होने के विरुद्ध श्री अनुज कुमार सिंह, जिला जल पत्र (एड) महसुबिय, भागलपुर द्वारा प्रवत परितंत्रण एवं जॉच निगरानी विभाग से कराकर पत्रांक- 3001 दिनांक- 16.05.2012 द्वारा विभागीय एवं विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा के साथ विभाग को प्राप्त हुई, जिसके आधार पर ज्ञापक- 4621 दिनांक- 23.07.2012 द्वारा श्री राम को तय सति से अधिक दर पर उपभोक्ताओं को सामग्री वितरण, परितंत्रण का अभाव एवं लापरवाही के आरोप में मिलित्वित करते हुए ज्ञापक- 5081 दिनांक- 13.08.2012 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया ।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा उपरोक्त करते गये जॉच प्रतिवेदन/अभियोग के समीक्षात्मक जॉच प्रतिवेदन में उपभोक्ताओं का क्याण होने के दावा पर आरोप प्रकटित नहीं होने एवं निरीक्षण की कमी के कारण पत्रांक- 7611 दिनांक- 01.2.2012 द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा की गई । विभागीय विभाग, बिहार के जॉच में उपभोक्ताओं से निरीक्षण पर से अधिक मूल्य लेने, निरीक्षण नहीं करने एवं जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के स्तर से उपभोक्ताओं का हस्ताक्षर नहीं लेने के आरोप का द्वितीय कारणपृच्छा में जवाब नहीं देने के कारण जो वेदम वृद्धि संपत्कारक प्रभाव से संक्रमे का दण्ड विभागीय आदेश ज्ञापक- 1933 दिनांक- 25.03.2013 द्वारा संसूचित किया गया ।

3. श्री राम द्वारा आदेश ज्ञापक- 1088 दिनांक- 25.03.2013 द्वारा निर्गत दण्डादेश को रद्द करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय पटना में आवेदन संख्या- 20501/2013 संविभागत सं. बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर किया गया । माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा उक्त आवेदन याचिका में दिनांक- 21.12.2017 को पारित राज्य निर्णय को कार्यकारी अधिकार निम्नवत् है :-

"Having considered the rival contentions of the parties when the enquiry report is in favour of delinquent, in such circumstances as is of the judgment of Kunj Bihari (supra) the disciplinary authority has to record a separate finding of disagreement, obtain the comment after considering the material produced the enquiry as well as comment submitted by delinquent, would pass an order in accordance with law. As this procedure has not been followed in the presence case the order of punishment dated 25.03.2013 is quashed and the matter is remanded back to the authority concerned. He may proceed in accordance with law."

With the aforesaid observation an interim stay order petition is allowed.

4. माननीय न्यायालय द्वारा पारित राज्य निर्णय को अनुपालन के लक्ष्य में कार्यवाही आदेश ज्ञापक- 1933 दिनांक- 25.03.2013 को रद्द करने के लक्ष्य में ज्ञापक- 2679 दिनांक- 06.06.2013 द्वारा रद्द किया गया है । साथ ही श्री राम के विरुद्ध विभागीय आदेश ज्ञापक- 5081 दिनांक- 13.08.2012 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा जॉच प्रतिवेदन के उपरोक्त विधि सखरि अग्रेतर कार्रवाई हेतु निर्णय लिया गया । कुछ समीक्षात्मक श्री राम के विरुद्ध विभागीय ज्ञापक- 5081 दिनांक- 13.08.2012 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को नये सिरे से बिहार सरकारी सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2003 के दिनांक-17 के तहत संचालित करने का निर्णय लिया जाता है ।

5. श्री राम के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही रद्द करने हेतु उपरोक्त (खाद्य), पटना प्रमंडल पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

6. संचालन पदाधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि आरोपी पदाधिकारी को आरोप पत्र प्रपत्र 'क' एवं साक्ष्यों की एक प्रति अपने स्तर से तानिला कराते हुए तीन माह के अन्दर विभागीय कार्यवाही पूरी कर जॉच प्रतिवेदन निरिघत रूप से उपलब्ध करा देंगे ।
7. प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-03, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, विहार, पटना को साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।
8. आरोपी पदाधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि आरोप पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर अपना बचाव बयान संचालन पदाधिकारी को अवश्य समर्पित कर देंगे ।

ह0/-

(यन्त्रोत्तर)

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापक-प्र08गो0आ0 भागलपुर-95/2011 सी.टी.0 / खाद्य,पटना/दिनांक 21.06.18  
प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी, भागलपुर/मधुबनी/संयुक्त सचिव, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, निगरानी विभाग, पटना/उपनिदेशक (खाद्य), पटना प्रमंडल पटना-सह- संचालन पदाधिकारी (आरोप पत्र प्रपत्र 'क' की दो प्रतियों के साथ)/विशेष कार्य पदाधिकारी, प्रशाखा-03/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-06-सह- साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी, (आरोप पत्र प्रपत्र 'क' की एक प्रति के साथ) खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, विहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा श्री शशिकान्त राम, तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सुकरामगंज, भागलपुर सम्रति विभागीय आदेश ज्ञापक-3094 दिनांक- 29.06.2018 द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, खजौली, मधुबनी के पद पर नवप्रदरक्षित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव ।